सं0 2/22(बी)/2008-स्था.(वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता की स्वीकृति – छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की शिफारिशें ।

सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लेते हैं :-

(क) प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता सामान्य तैनाती स्थान से बाहर जनहित में की गई नियुक्तियों के मामले में दिया जाना जारी रहेगा ।

(ख) उसी स्टेशन के भीतर प्रतिनियुक्ति के मामले में 2000/-रूपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन मूल वेतन के 5% की दर से भत्ता दिया जाएगा; और

(ग) अन्य मामलों में, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, 4000/-रूपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन मूल वेतन के 10% की दर से देय होगा ।

संशोधित वेतन ढांचे में **'मूल वेतन'** का आशय निर्धारित वेतन बैंड में लागू ग्रेड वेतन को जोड़कर आहरित वेतन से है परन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है ।

2. जहाँ तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों का सम्बंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है ।

3. यह आदेश 01 सितम्बर, 2008 से लागू होगा ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)
निदेशक

सेवा में,

संलग्न मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग ।